दिनांक 21.05.2018

स्वच्छ भारत अभियान **स्वच्छ एवं सुदर भिलाई**

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त श्री के.एल. चौहान द्वारा विगत दिनों में पड़ोसी जिले रायपुर में पीलिया एवं दुर्ग जिले के ग्राम हनोदा, चंदखुरी, पासेगांव, आलबरस में उल्टी–दस्त/डायरिया के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए निगम भिलाई क्षेत्रान्तर्गत जल जनित बीमारियों का संक्रमण न हो, उसके बचाव के लिए पूर्व से ही तैयारी किए जाने के निर्देश निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को देते हुए की गई कार्यवाही से अवगत कराने का आदेश दिया गया। वार्ड मोहल्ले में जल जनित बीमारियों की जानकारी प्राप्त होते ही विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाया जाना सुनिश्चित करें। इस संबंध में स्वास्थ्य अधिकारी अपने स्तर पर सभी जोन आयुक्त, वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक को आदेश प्रसारित करें।

निगम आयुक्त श्री चौहान ने उक्त बीमारी के बचाव के लिए प्रतिबंधात्मक कार्य जैसे– (1) वार्ड/मोहल्ले में स्थित नाला/नालियों/पुलियो की समुचित साफ–सफाई करा लिया जाए, ताकि आगामी वर्षा ऋतु में कहीं भी बरसाती पानी की रूकावट न हो। (2) कचरा संग्रहण स्थल से कचरा उठवा लिए जाऐं। (3) गर्मी के मौसम में जल स्तर कम होने लगता है, हैंडपम्प दूषित पानी आने की संभावना बनी रहती है अतएव बोरिंग के आसपास गदें पानी का जमाव न होवें समय–समय पर ब्लीचिंग पावडर + चूना पावडर के मिश्रण का छिड़काव कराया जाए। (4) वार्ड/मोहल्ले में विद्यमान सार्वजनिक/निजी कुओं का जिसका उपयोग नहाने वगैरह में किया जाता है, ब्लीचिंग पावडर का घोल डालकर प्रति सप्ताह शुद्धिकरण कराया जाए। (5) आवासीय कालोनी में जहॉ सिवरेज लाईन की व्यवस्था है, लिकेज होने की स्थिति में अविलम्ब जोन कार्यालय के सहयोग से संधारण कराया जाए। (6) सार्वजनिक/निजी शौचालयों के गंदे पानी की निकासी समुचित नहीं होने से आसपास गंदे जमाव पानी से भी संक्रमण होने की संभावना बनी रहती है, भ्रमण कर देखें और समुचित निकासी कराया जाना सुनिश्चत करें। (7) जोन स्तर पर एक टीम तैयार कर सड़े गले खाद्य पदार्थ का सतत् निरीक्षण कर विनिष्टिकरण की कार्यवाही किया जाए। (8) वार्ड में पदस्थ शहरी परिवारि कल्याण केन्द्र एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एल.एम.) के ए.एन.एम./मितानीन से सभी वार्ड पर्यवेक्षक सतत् सम्पर्क में रहें एवं समन्वय बनाते हुए निगम क्षेत्र में जल जनित बीमारी की जानकारी प्राप्त होने पर प्रभावित व्यक्ति/परिवार का प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध कराकर होने वाले संक्रमण के बचाव एवं समय पूर्व अविलम्ब प्रतिबंधात्मक कार्य कराए जाने के सख्त निर्देश स्वास्थ्य अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक एवं स्वास्थ्य अमले को दिया गया।

वार्ड भ्रमण के दौरान वार्ड/मोहल्ले में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/आंगनबाड़ी/नुक्कड़ पर पूछताछ भी करते रहे कि जल जनित बीमारी से काई व्यक्ति/परिवार प्रभावित तो नहीं है, वार्ड में निवासरत मितानिनों सतत् संपर्क बनाये रखे उनसे भी पूछताछ करते रहे कि मोहल्ले में कोई प्रभावित तो नहीं है।

जनसम्पर्क अधिकारी